

क्रमांक:पं09(59)चिस्वा/2/90/ए-1293

जयपुर,दिनांक: 29/4/10

निदेशक(जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर।

2768

विषय:-निजी मेडिकल कालेज में पी.जी. अध्ययनरत सेवारत चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निजी मेडिकल कालेज में पीजी अध्ययनरत/सेवारत चिकित्सकों को राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-110 के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्ययन अवधि में अध्ययनरत चिकित्सकों का वेतन राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-112 एवं 97 के अनुसार देय होगा।

यह स्वीकृति वित्त(नियम)विभाग की आईडी संख्या 221000094 दिनांक 17.2.2010 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

[Signature]

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: रक्षित पत्रावलीं

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- पीजी/2010/20-31

दिनांक : 20/5/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान जयपुर।
5. प्राचार्य, सरदार पटेल, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. प्राचार्य, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, सीतापुरा (जयपुर)।
9. संबंधित अधिकारी।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,